




फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोधनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध रूप से
		<p>को त्रेत्रते हुए सन्तरिम समर्थार्थ निवेदन किन्तु अग्रभाषकारान के इस आग्रह को जारी नहीं जाती है कि आग्रह को सामग्री तरीके से ही कर लिए सन्तरिम समर्थार्थ निवेदन से इस कर पाकर किया जाता है कि नादरुद्ध साराजी खसरा नं. 15 खसरा 22889, ख. सं. 16/2 रकबा 0.5943 हे. तथा ख. नं 0 11। रकबा 2.7060 हे. वाले सम गुरा गुमावतान 100 जोधनेर के मोन एवं सचरव रिगर्ड की प्रवर्धित बनाएं रखे एवं जेचन नहीं करे। उक्त सन्तरिम ग. र. सारखा सीमाज्ञान प्रहसराधि के विधि न करे की पास्ता में एवं सक्त खुपवाने एवं नवीन सक्त पाहने संबंधि विधि प्रक्रिया में लागू नहीं होणा। सप्रार्थिता की तलबी परिह Reg. 14 जारी होकर सत्रावली दिनांक 23/07/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोधनेर जयपुर </p>
	23/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 31/9/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
	3.9.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 26/9/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
	26.9.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके सक्तिता अनुपस्थित। प्रार्थी को भाष्य न्यायालया में प्रथम-पृथक समय पर तीन-तीन बार भाषाएं लगवायी गयी। आवण्ट भाषाएं लगवाने के उपरांत भी</p>

फर्द अहकाम

बनाम

का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

/202.....

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>घाटी के न-भायालय में दायर नही माने के कारण पत्रावली भन्तर्गत खारजा-१ विग्रम-३ जा. प्री. के तहत अयम दायरी व अयम पैरवी से खारिज की गयी। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से काम होकर साखिल दफ्तर ही।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>